पटना में दिनांक—09 जून, 2015 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

उद्योग विभाग

1. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने हेतु संशोधित Rules and Regulation की स्वीकृति के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

2. बिहार तकनीकी नियमावली 1999 के नियम—9 (ख) में इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (जीव विज्ञान) से उर्तीण एवं शोध सहायक के पद पर नियुक्त, जो बाद में सहायक शोध पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हुए हैं को भी सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति की पात्रता प्रदान करने को, परन्तुक के रूप में बिहार तकनीकी नियमावली 1999 के नियम 9 (ख) में सन्निहित करने की स्वीकृति। — 2. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

3. "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में ली गयी योजनाओं के वित्तीय सम्पोषण हेतु 146.074 करोड़ रूपये एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 636.00 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 782.074 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. बेगुसराय जिलान्तर्गत बरौनी अंचल के मौजा—मल्हीपुर, थाना नं०—503, खाता सं०—261, खेसरा सं०—890, रकबा—16.0 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि आर्सेनिक प्रभावित ग्राम/टोलों के लिए सिमरिया स्थित सतही जल से बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

5. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में वित्तीय वर्ष 2015—16 में रू० 32000.00 लाख (तीन सौ बीस करोड़ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 5. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

6.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश मद में रू० 126351.00 लाख (एक हजार दो सौ तिरसठ करोड़ एकावन लाख रूपये) तथा राज्यांश मद में रू० 43177.07 लाख (चार सौ एकतीस करोड़ सतहत्तर लाख सात हजार रूपये) अर्थात कुल रू० 169528.07 लाख (एक हजार छः सौ पनचानवे करोड़ अठाइस लाख सात हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ)

7.	बिहार कारा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के श्री रामेश्वर सिंह, कोटि क्रमांक–404/2011 को संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर में प्रोन्नति दिये जाने एवं श्री देवेन्द्र कुमार सविता कोटि क्रमांक–356/2011 को उनके पूर्व धारित पद पर पदावनत करने का प्रस्ताव।	8.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

9.	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–80–001–0002– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन तथा 31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत उपबंधित कुल–₹ 424.90 लाख (चार करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार रूपये) की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

10.	वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का अंशदान रू० 10000.00 लाख (एक सौ करोड़ रूपये) सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव।	10.	स्वीकृत।

विधि विभाग

11.	पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में संयुक्त न्यायालय भवन (Semi Basement एवं G+7) में कोर्ट रूम, चैम्बर, कार्यालय, मिडियेशन सेन्टर एवं रेकर्ड रूम के निर्माण के निमित्त कुल 45,78,00,000/–(पैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण कार्य "बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड" से कराये जाने की स्वीकृति।	11.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

12.	बिहार राज्य अन्तर्गत खान एवं भूतत्व विभाग के विभागीय/अंचलीय, जिलास्तरीय समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2015 का गठन किया जाना है।	12.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13.	बिहार क्षेत्रिय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक /आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) निमयावली–2015 की स्वीकृति।	13.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

15.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मद से बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम–1999 के तहत गठित बिहार राज्य महिला आयोग के स्थापना एवं संधारण हेतु सहायक अनुदान मद की कुल 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

16.	बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17 के आलोक में गठित बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना एवं कार्यालय के संधारणार्थ वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदान मद में कुल रूपये 2,00,00,000/–(दो करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

17.	पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत हिलसा बाईपास पथ (पश्चिम तरफ) के कुल 5.112 कि०मी० लंबाई का मिट्टी कार्य, बचाव कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, Utility Shifting कार्य, भू–अर्जन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य कुल 17146.20 लाख (एक सौ इकहत्तर करोड़ छियालीस लाख बीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत जमुई–लखीसराय पथ (SH-18) के ढंण्ड ग्राम से लखीसराय–सिकन्दरा पथ (SH-8) तक भाया सनकुहरा–कुन्दरी–खरसारी–मंजोष –सिझौड़ी–कर्मा पथ के कुल 26.00 कि०मी० पथ लंबाई में बचाव कार्य, पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 4636.78 लाख (छियालीस करोड़ छत्तीस लाख अठहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत भागलपुर–हंसडीहा पथ के कि०मी० 15.818 से 63.769 (कुल 47.951 कि०मी० पथ लंबाई में) पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, पुल मरम्मति कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 5261.48 लाख (बावन करोड़ इकसठ लाख अड़तालीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

19. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. पथ प्रमंडल, बांका के अन्तर्गत सुलतानगंज–तारापुर–बेलहर–कटोरिया–दर्दमारा पथ के कि०मी० 41.00 से 98.865 (कुल 58.865 कि०मी० पथ लंबाई में) पी०सी०सी० कार्य, लौंगिच्यूडनल ड्रेन कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 5510.54 लाख (पचपन करोड़ दस लाख चौवन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22.	पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत अनादिपुर से पीरपैंती भाया बटेश्वर स्थान, विक्रमशीला खुदाई स्थल पथ के कुल 28.50 कि०मी० पथ लंबाई में पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, पुल/पुलिया मरम्मति कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 3258.82 लाख (बत्तीस करोड़ अनठावन लाख बेरासी हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

23.	पथ प्रमंडल, पटनासिटी के अन्तर्गत उलार–मसौढ़ी पथ के कि०मी 11.30 से 21.80 तक (कुल 10.50 कि०मी० पथ लंबाई में) क्रॉस ड्रेन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 2632.02 लाख (छब्बीस करोड़ बत्तीस लाख दो हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24.	नवादा जिलान्तर्गत नरहट अंचल के मौजा–खनवाँ, थाना सं०–120, खाता सं०–739, खेसरा सं०–1261, रकबा–6 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण भूमि ग्रिड सब स्टेशन के भवन निर्माण हेतु 42,00,000/–(बयालीस लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 52,50,000/–(बावन लाख पचास हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 94,50,000/– (चौरानवे लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

25.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 45,40,00,000/– (पैंतालीस करोड़ चालीस लाख) मात्र के सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि की स्वीकृति के संबंध में।	25.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

26.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में महिला विकास निगम (मुख्यालय), बिहार पटना की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा जिला स्तरीय कार्यालय के संधारणार्थ कुल रूपये 2,50,00,000/–(दो करोड़ पचास लाख) मात्र के सहायक अनुदान में उपबंधित राशि की स्वीकृति के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

27.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान नियमावली, 2014 अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सहायक अनुदान की राशि कुल 1,00,00,000/–(एक करोड़) रूपये मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**27.**	**स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

28.	बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० को अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में, एन०टी० पी०सी० एवं अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सीडी के रूप में 2334.00 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वर्ष 2015–16 के मई, 2015 से नवम्बर, 2015 की अवधि के लिए 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) रूपये प्रतिमाह की दर से सात माह के लिए कुल 2100.00 करोड़ (इककीस सौ करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति एवं शेष राशि 234.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**28.**	**स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

29.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू० प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 220.00 लाख (दो करोड़ बीस लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव।	**29.**	**स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

30.	पूर्व से स्वीकृत मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के पात्र व्यक्तियों में रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को शामिल करने के संबंध में।	**30.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

31.	राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सहायक प्राध्यापक (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे०–6600/–) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।	**31.**	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

32.	वित्त विभाग के बजट सलाहकार के पद को अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित करने के संबंध में।	32.	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

33.	पूर्व में संचालित BSWAN परियोजना की अवधि समाप्ति के पश्चात् Next Gen Bihar State Wide Area BSWAN-II (2015–2020) की ₹ 3,13,38,90,000.00 (तीन अरब तेरह करोड़ अडतीस लाख नब्बे हजार) मात्र स्वीकृति के संबंध में।	33.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34.	मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल–मधेपुर के मौजा–भीठ भगवानपुर, थाना नं०–279, खाता सं०–1623, खेसरा सं०–7500, 7505, 7499 एवं 7506 रकबा क्रमशः– 0.15 एकड़, 1.46 एकड़, 0.15 एकड़ एवं 3.24 एकड़ कुल –5.00 एकड़ भूमि जो खतियान में गैर मजरूआ खास के रूप में दर्ज हैं, को बाजार मूल्य 36,50,000/–(छत्तीस लाख पचास हजार) रूपए के समतुल्य सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान के 25 गुणा अर्थात 45,62,500/–(पैंतालीस लाख बासठ हजार पांच सौ) रूपए पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 82,12,500/–(बयासी लाख बारह हजार पांच सौ) रूपए के एकमुश्त भुगतान पर राज्य योजनान्तर्गत 132/33 के०भी० ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	34.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

35.	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल–अरेराज के मौजा–चंडी स्थान, थाना नं०–99, खाता सं०–155, खेसरा सं०–437, 438, रकबा क्रमशः–2.45 एकड़ एवं 0.55 एकड़ कुल–3.00 एकड़ भूमि जो खतियान में गैर मजरूआ मालिक गढ़ के रूप में दर्ज है, को बाजार मूल्य मो०–42,00,000/–(रू० बयालीस लाख) के समतुल्य सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान के 25 गुणा अर्थात 52,50,000/–(रू० बावन लाख पचास हजार) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 94,50,000/–(रू० चौरानबे लाख पचास हजार) के एकमुश्त भुगतान पर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	35.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

36. सारण जिलान्तर्गत अमनौर अंचल के मौजा–रसुलपुर, थाना नं०–115, खाता सं०–731, खेसरा सं०–1880, रकबा–6 (छः) एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि किस्म परती कदीम पर 220/132 के०भी० गैर इन्सुलेटेड ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 50,40,000/–(पचास लाख चालीस हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान का 25 गुणा अर्थात 63,00,000/–(तिरसठ लाख) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,13,40,000/–(एक करोड़ तेरह लाख चालीस हजार) रू० के भुगतान पर राज्य योजनान्तर्गत बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

37. "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत वर्ष 2015–16 के लिये बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु कुल 55228 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु कुल ₹ 26235.709 लाख (दो सौ बासठ करोड़ पैंतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। — 37. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

38. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रथम बैच अंतर्गत दस जिलों यथा, पटना, नालंदा, नवादा, बेगुसराय, मुंगेर, बांका, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 133 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल रू० 286.43 करोड़ (दो सौ छियासी करोड़ तैतालीस लाख रूपये) {(Design & Build Cost रू० 226.56 करोड़ (दो सौ छब्बीस करोड़ छप्पन लाख रूपये) तथा O & M for Five Years- रू० 59.87 करोड़ (उनसठ करोड़ सत्तासी लाख रूपये)} की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। — 38. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

39. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत बजट उपबंध की कर्णांकित कुल ₹ 93169.02 लाख (नौ सौ एकतीस करोड़ उनहत्तर लाख दो हजार रू०) में से ₹ 77467.02 लाख (सात सौ चौहत्तर करोड़ सरसठ लाख दो हजार रू०) सहायक अनुदान के रूप में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित करने हेतु एकमुश्त व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

39. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

40. पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत अररिया–कुर्साकांटा–कुआरी–सिकटी पथ के कि०मी० 0 से 28 तक (कुल 28.00 कि०मी० पथ लंबाई) में क्रॉस ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, कल्भर्ट मरम्मति कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 4374.43 लाख (तैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख तैंतालीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

40. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

41. पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत छपवा–हरसिद्धी पथ के कि०मी० 0 से 19.15 तक (कुल 19.15 कि०मी० पथ लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 2859.93 लाख (अठाईस करोड़ उनसठ लाख तेरानवे हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

41. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

42. पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ के कि०मी० 0 से 19.30 तक (कुल 19.30 कि०मी० पथ लंबाई) में बचाव कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 5902.07 लाख (उनसठ करोड़ दो लाख सात हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

42. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

43.	पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत छपरा–मढ़ौरा पथ के कि०मी० 8.823 से 26.30 तक (कुल 17.477 कि०मी० पथ लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 2744.33 लाख (सताईस करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	43. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

44.	पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत जाले–अतरवेल पथ के कि०मी० 0 से 26.20 तक (कुल 23.90 कि०मी० पथ लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, ड्रेन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 2750.37 लाख (सताईस करोड़ पचास लाख सैंतीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	44. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

45.	स्व० कृष्ण मुरारी किशन, वरिष्ठ छायाकार के मेदान्ता अस्पताल, नई दिल्ली में कराये गये इलाज एवं एयर एम्बुलेन्स के व्यय हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्रावधानों को क्षान्त करते हुए कुल रू० 7,54,961/–(सात लाख चौवन हजार नौ सौ एकसठ रूपया मात्र) अनुदान की स्वीकृति।	45. **स्वीकृत।**